

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 135]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 27 मार्च 2019—चैत्र 6, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
कार्यालय, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 27 मार्च 2019

शुद्धि पत्र

क्र. सात-ठेका-2019-20-189.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 125, दिनांक 16 मार्च 2019 में प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक 7-ठेका-2019-20-147 में देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2019-20 में निम्नानुसार स्थापित किया जाता है:—

- (1) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 125, दिनांक 16 मार्च 2019 की कंडिका क्रमांक 57 के पश्चात् कंडिका क्रमांक 58 निम्नानुसार स्थापित की जाये—

“देशी मदिरा प्रदायकर्ता एवं विदेशी मदिरा निर्माता इकाइयों द्वारा मदिरा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों को किसी भी प्रकार से अनुमोदित कीमत में छूट (Discount) अनुमत नहीं होगा.”

रजनीश श्रीवास्तव, आबकारी आयुक्त.